

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 445/2018

प्रार्थनी:-

1. देशकंवर पत्नी बाबूसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी मेली तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. गोविन्दराम उर्फ गीण्डोला पुत्र मसराराम जाति लुहार निवासी मेली तहसील सिवाना जिला बाड़मेर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:-

1. श्री कैलाशपुरी अधिवक्ता प्रार्थी
2. विप्रार्थीगण अनुपस्थित

-:: आदेश ::-

दिनांक :- 04/07/2022

प्रार्थनी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईयश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरुद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थनी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2070-2073 सरहद मौजा मेली पटवार मण्डल मेली भूअ.नि सिवाना तहसील सिवाना के खेत खसरा नम्बर 1373/638 रकबा 0.9232 हैक्टर भूमि किस्म चा.सोयम का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थनी का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थनी की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पड़ोसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थनी अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं।

दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थनी विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।



उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

प्रार्थनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिवाना को
दिलिखत किया जाता है कि दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा
सरहद मौजा मेली पटवार मण्डल मेली भू.अ.नि सिवाना तहसील सिवाना के खेत
खसरा नम्बर 1373/638 रकबा 0.9232 हैक्टर भूमि किस्म चा.सोयम का
सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित
करवाने हेतु तहसीलदार सिवाना को 500/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया
जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे, आवश्यकता होने पर
तहसीलदार सिवाना को थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना से पुलिस इमदाद प्राप्त
करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार सिवाना बाद पालना, पालना
प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल
पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफतर हो।



(कुसुमलता चौहान)

उपखण्ड अधिकारी, सिवाना

सिवाना (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 04.07.22 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)

उपखण्ड अधिकारी, सिवाना

सिवाना (बाड़मेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बाडमेर)

क्रमांक: वाद/2022/1134

दिनांक : 07/07/2022

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

देशकंवर

गोविन्दराम

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु
नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी

राजस्व आवेदन सं 445/2018.

निर्णय दिनांक :- 07/07/2022

-:: आदेश ::-

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम मेली के खेत खसरा नम्बर 1373/638 रकबा 0.9232 हैक्टर किस्म चा.दोयम की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार....सिवाना को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस रुपये 500/-प्रार्थीगण अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना

दिनांक : 07/07/2022

क्रमांक: वाद/2022/1134-38

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार सिवाना
2. थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना
3. हल्का पटवारी मेली को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थी देशकंवर पत्नी बाबूसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी मेली तहसील सिवाना जिला बाडमेर

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना